19/05-07-2021

दिनांक– 23.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

<u>उपस्थितिः</u>– यथा पंजी संधारित।

दिनांक– 23.12.2020 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अन्तर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्नाकिंत बिन्दुओं पर आवश्यक निर्णय लिए गए एवं निदेश दिए गएः–

(i) <u>DILRMP के तहत भारत सरकार को समर्पित किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में</u> :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विगत बैठक में दिए गए निदेश के अनुपालन में Capacity Building एवं IEC के संबंध में भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों को उपस्थापित कर दिया गया है। सभी प्रस्तावों की समेकित स्थिति निम्नवत हैः–

क्र0सं0	अवयव	प्रस्ताव में निहित राशि
01.	भू–अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण	94.07 लाख
02.	अंचल स्तरीय आधुनिक अभिलेखागार	10245.29 लाख
03.	जिला स्तरीय डाटा केन्द्र	228.17 लाख
04.	अनुमण्डल स्तरीय डाटा केन्द्र	51.11 लाख
05.	अंचल स्तरीय डाटा केन्द्र	504.98 लाख
06.	सर्वे/री–सर्वे	10358.85786 लाख
07.	NLRMP Cell	128.575 लाख
08.	राजस्व मानचित्रों का डिजिटाईजेशन	1246.305 लाख
09	इन्टरकनेक्टीविटी	1213.15 लाख
10.	PMU का संचालन	307.80 लाख
11.	Capacity Building	3478.84 लाख
12.	IEC	1783.98 लाख
कुल योग		**29641.12786**

विमर्शोपरांत तय किया गया कि भारत सरकार को पूर्व में किए गए व्यय की लेखा स्थिति, अंकेक्षण इत्यादि के संबंध में अवगत कराते हुए सभी प्रस्तावों को ई–मेल तथा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अविलंब प्रेषित किया जाए।

(ii) <u>नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में</u> :– प्रतिवेदित किया गया कि विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के महत्त्व को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा 19 जिलों में स्वतंत्र रूप से बन्दोबस्त पदाधिकारियों की पदस्थापना की गई है।

निर्णय लिया गया कि सभी नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को उनके जिले में सभी उच्चस्तरीय सुविधाएँ यथा कक्ष, वाहन, निजी सहायक इत्यादि यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएं। निदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार विभाग एवं निदेशालय से पत्र निर्गत किया जाए।

(iii) <u>नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण</u> :– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी नवपदस्थापित बन्दोबस्त पदाधिकारियों को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देने तथा वर्त्तमान में चल रहे कार्य की स्थिति से अवगत कराने के लिए दिनांक– 04.01.2021 से 08.01.2021 तक राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, शास्त्रीनगर, पटना में प्रशिक्षण दिया जाए।

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र पत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया।

(iv) **भू–नक्शा सॉफ्टवेयर** :– विशेष सचिव द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि बैठक में दिए गए निदेश अनुपालन में Textual and Spatial Data के Integration के लिए कमिटी गठन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आगामी बैठक में प्रस्ताव तैयार कर उपस्थापित कर दिया जाएगा।

(v) **ETS का क्रय** :– बैठक में बताया गया कि ETS क्रय करने के लिए ETS की विशिष्टताओं के निर्धारण के लिए दिनांक– 30.12.2020 को तकनीकी परामर्शदातृ समिति की बैठक आहूत की गई है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि बैठक में GEM Portal से भी ETS के दर के विवरण एवं ETS आपूर्ति करने के संबंध में निजी एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव पर भी बैठक में विचार किया जाए।

(vi) **विशेष सर्वेक्षण में प्रयुक्त पिलर की संरचना एवं दर**:– बैठक में बताया गया कि इस संबंध में माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के समक्ष संचिका उपस्थापित है।

निर्णय लिया गया कि पिलर के निर्माण का दायित्त्व जिला बन्दोबस्त कार्यालयों को दिया जाए एवं इसके लिए उन्हें आवश्यक राशि उपलब्ध कराते हुए निदेश निर्गत किये जाय।

(vii) **राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया** :– बैठक में बताया गया कि इस मद में प्राप्त कुल राशि 2.57 करोड़ को भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन भवन निर्माण विभाग द्वारा संपूर्ण राशि का उपयोग नहीं किया गया है, जिस कारण पुनः राशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि उद्व्यय का प्रस्ताव वित्त विभाग, बिहार, पटना को दिया जाए ताकि निर्माण कार्य पूरा किया जा सके।

(viii) **मानचित्र की आपूर्ति** :– बैठक में प्रतिवेदित किया गया कि विगत सर्वेक्षण के उपलब्ध मानचित्रों को डाक के माध्यम से रैयतों को उपलब्ध कराने के लिए माह जनवरी 2021 का लक्ष्य रखा गया है।

बताया गया कि वर्त्तमान में प्लॉटर से उपलब्ध कराए जाने वाले मानचित्र का शुल्क 150 रू0 प्रति चादर है। घर पर मानचित्र उपलब्ध कराने में पैकेजिंग एवं डाक शुल्क का व्यय अतिरिक्त होगा।

निर्णय लिया गया कि रैयतों को उनके घर पर मानचित्र उपलब्ध कराने में होनेवाले अतिरिक्त व्यय को देखते हुए घर पर मानचित्र आपूर्ति की दर **250 रू0** प्रति चादर निर्धारित की जाए।

(ix) **हवाई सर्वेक्षण एजेंसी की समीक्षा** :– बैठक में निदेशित किया गया कि आगामी समीक्षात्मक बैठक में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के संबंधित प्रगति प्रतिवेदन उपस्थापित किया जाए।

निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान में अनुबन्ध के आधार पर जिस हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के कार्यों की स्थिति सबसे खराब है, उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

(x) **DoLR Status**:– प्रतिवेदित किया गया कि MIS के Component की प्रविष्टि का कार्य किया जा रहा है एवं वर्त्तमान स्थिति निम्नवत् है:–

DILRMP Work Progress Status		
MIS Components		**Dec week 3**
Status - Green		
1	RECORD OF RIGHTS ON WEB	100%
2	STATE DATA CENTRE SETUP	100%
3	CITIZEN CENTRIC SERVICES	100% RoR Only
4	DIGITIZATION OF CADASTRAL MAPS	99.67%
5	AUTOMATION OF SUB-REGISTRAR OFFICES	96.83%
6	COMPUTERIZATION OF LAND RECORDS (RECORD OF RIGHTS)	76.91%
Status - Yellow		
7	TEHSIL MODERN RECORD ROOM	31.94%
Status - Red		
8	INTEGRATION OF LAND RECORDS & PROPERTY REGISTRATION	7.14%
9	SURVEY/RE-SURVEY	0.10%
10	BHU-NAKSHA CUSTOMIZATION	0.01%
11	TEXTUAL AND SPATIAL DATA INTEGRATION	0.00%

विमर्शोपरांत तय किया गया कि आगामी समीक्षात्मक बैठक तक Digtization of Cadastral Maps एवं CLR के संबंध में की जाने वाली प्रविष्टियों को पूर्ण कर लिया जाए।

निर्णय लिया गया कि DoLR Status की इंट्री करने वाले ऑपरेटरों को कार्य का लक्ष्य निर्धारण किया जाए एवं लक्ष्य के अनुसार कार्यों का अनुश्रवण किया जाए।

(xi) भू–अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन :– प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में 6 जिलों द्वारा भू–अभिलेखों का स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन का कार्य किया गया था। 2 जिलों द्वारा किए कार्य की समीक्षा निदेशालय स्तर पर की गई है।

निर्णय लिया गया कि पूर्व में जिलों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर ज्ञात किया जाए कि उनकी उपयोगिता क्या है अथवा उन्हें उपयोग में लाए जाने के लिए क्या किया जाना है। इस बात पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है कि भू–अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्कैनिंग एवं डिजिटाईजेशन और माइक्रोफिल्मिंग में कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। साथ ही इस कार्य के लिए एजेंसियों का चयन किस प्रकार किया जाए और इन कार्यों में मुख्यालय की क्या भूमिका होगी। इस सभी विषयों पर पूर्व में तैयार किए गए प्रस्तावों पर पुर्नविचार करते हुए आवश्यक प्रस्ताव तैयार किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0 / –
(विवेक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\Proceeding\Proceeding_23-12-2020.docx

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......19.......पटना, दिनांक :–05-01-2021

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना / उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 5/1/21
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......19.......पटना, दिनांक :–05-01-2021

प्रतिलिपिः– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, आई0आई0सी0, आई0एल0एण्डएफ0एस0, जी0आई0एस0 कंसोर्टियम / श्री संजय कुमार, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......19.......पटना, दिनांक :–05-01-2021

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप / श्री विजय सम्राज्य, सहायक, बी0पी0एम0यू0 / प्रभारी पदाधिकारी, तकनीकी कोषांग, भू–अभिलेख एवं परिमाप / श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, बी0पी0एम0यू0, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......19.......पटना, दिनांक :–05-01-2021

प्रतिलिपि :– श्री कंचन कपुर, संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......19.......पटना, दिनांक :–05-01-2021

प्रतिलिपि :–सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17–विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही)–84 / 2019.......19.......पटना, दिनांक :–05-01-2021

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप 5/1/21

D:\Sanjeev-2020\Birendra Kumar ASO\Proceeding\Proceeding_23-12-2020.docx